Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
June 2024 5(6), 1565–1569

BIRTH OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN INDEPENDENT PAKISTAN

स्वतंत्र पाकिस्तान में महिला आंदोलन का जन्म

Dr. Kamla [1], Dr. Akansha [2]

[1] Assistant Professor, Sri Guru Nanak Dev Khalsa College, Department of Political Science, University of Delhi
[2] Associate Professor, Indraprastha College for Women, Department of Political Science, University of Delhi

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.2447

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: How did the women's movement emerge in Pakistan and what factors created it? Was the women's movement born only from women's organizations? Do only urban women's organizations lead the entire country? Are class differences relevant here? Are knowledge creation and individual and collective consciousness the result of geographical and professional background? We can get answers to these questions only by analyzing theories. The path on which the women's movement in South Asia is moving is the path of integrating gender with development. Women's organizations in South Asian countries are fighting against the elements inimical to women's identity and are strongly opposing the politicization of religion. South Asian women are still trying to restore peace. Along with this, their movement is moving forward with other important issues, such as gender equality which is demanding equality at the level of law, capacity building, participation and governance. The struggle of the South Asian women's movement is visible on every issue. Lack of political power among women, gender inequality, health related issues, need for justice, human rights issues, need for peaceful development etc. are important issues but the path of women's movement in all these is difficult. Lack of state initiatives, feudal and patriarchal social structure and globalization market system and demand for cheap labor are making the path of this struggle more difficult.

Many feminists believe that in the context of South Asia, women's movement and feminist movement are two different concepts. While women's movement talks about equal rights in a democratic structure, feminism challenges the legitimacy of a system which is oppressive for women.

Hindi: पाकिस्तान में महिला आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ और किन तत्वों ने इसका निर्माण किया। क्या केवल महिला संगठनों से महिला आंदोलन जन्मा है? केवल शहरी महिला संगठन क्या समस्त देश का नेतृत्व करते हैं? क्या वर्ग भिन्नताएं यहाँ प्रासंगिक है? ज्ञान निर्माण तथा व्यक्तिगत व सामूहिक चेतना क्या भौगोलिक व व्यवसायिक पृष्ठभूमि का परिणाम है? इन सवालों के जवाब हमें सिद्धांतो के विश्लेषण से ही प्राप्त हो सकते हैं। दक्षिण एशिया में महिला आंदोलन जिस रास्ते पर चल रहा है वह जेन्डर का विकास के साथ एकीकरण का रास्ता है। दक्षिण एशिया के देशों में महिला संस्थाएं महिलाओं की पहचान के विरोधी तत्वों से लड़ रही है और धर्म के राजनीतिकरण का कड़ा विरोध कर रही है। दक्षिण एशियाई महिलाएं शांति बहाली हेतु आज भी प्रयासरत हैं। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर इनका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, जैसे - महिला पुरुष समानता जो कानून, क्षमता निर्माण, सहभागिता तथा शासन के स्तर पर समानता की मांग कर रही है। दक्षिण एशियाई महिला आंदोलन का संघर्ष हर मुद्दे पर दिखाई दे रहा है। जिनमें महिलाओं में राजनीतिक शक्ति की कमी, जेन्डर सम्बन्धी असमानता, स्वास्थ्य संबधी मुद्दा, न्याय की आवश्यकता, मानव अधिकार के मुद्दे, शांतिपूर्ण विकास की आवश्यकता इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं किन्तु इन सभी में महिला आंदोलन का रास्ता मुश्किल भरा है राज्य की पहलकदमियों की कमी, सांमती तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा तथा भुमण्डलीकरण बाजार व्यवस्था सस्ते मजदूरों की मांग इस संघर्ष की राहे और कठिन बना रही है।

अनेक नारीवादीयों का मानना है कि दक्षिण एशिया के संदर्भ में महिला आंदोलन व नारीवादी आंदोलन दो भिन्न अवधारणाएं है महिला आंदोलन जहाँ लोकतांत्रिक ढांचे में समान अधिकारों की बात करता है वही नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था की वैधता को चुनौती देता है जो महिलाओं हेतु उत्पीड़नकारी है।

Keywords: Women's Movement, Women's Organization, Law, Capacity Building, Participation, महिला आंदोलन, महिला संगठन, कानून, क्षमता निर्माण, सहभागिता

1. प्रस्तावना

पीटरसन (Peterson), 1993) तथा ह्येज (Hayes), 1996 ने भी इन दोनों में विभेदीकरण को स्पष्ट करते हुए Molyneux Concept का विचार दिया है जिसमें व्यवहार व व्यूह रचना के माध्यम से इन दोनों अवधारणाओं में विभेद की बात कही है किन्तु इन दोनों अवधारणओं में समानता यह है कि दोनों में महिलाओं की उत्पीड़न से मुक्ति पर बल दिया गया है। व्यक्तिगत चेतना व सामूहिक चेतना को अनेक नारीवादी, महिला आंदोलन में समाहित करते हैं सभी प्रकार की सामूहिक चेतना एक विशेष उत्पीड़न के खिलाफ आवाज होती है। साहित्य, कला, कविता या प्रतिक्रिया के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति एक व्यक्तिगत पक्ष है जो सामूहिकता को प्रभावित नहीं करता। किन्तु महिला, आंदोलन में हमें सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों ही मुद्दों को साथ लेकर चलना है। क्योंकि एक इंसान भी तो समाज का ही एक हिस्सा है।

दक्षिण एशिया में महिला आंदोलन जिस रास्ते पर चल रहा है वह जेन्डर का विकास के साथ एकीकरण का रास्ता है। दक्षिण एशिया के देशों में महिला संस्थाएं महिलाओं की जातीय पहचान के विरोधी तत्वों से लड़ रही है और धर्म के राजनीतिकरण का कड़ा विरोध कर रही है। दक्षिण एशियाई महिलाएं शांति बहाली हेतु भी आज प्रयासरत हैं। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर इनका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, जैसे - महिला पुरुष समानता जो कानून, क्षमता निर्माण, सहभागिता तथा शासन के स्तर पर समानता की मांग कर रही है। दक्षिण एशियाई महिला आंदोलन का संघर्ष हर मुद्दे पर दिखाई दे रहा है। जिनमें महिलाओं में राजनीतिक शक्ति की कमी, जेन्डर सम्बन्धी असमानता, स्वास्थ्य संबधी मुद्दा न्याय की आवश्यकता, मानव अधिकार के मुद्दे, शांतिपूर्ण विकास की आवश्यकता इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं किन्तु इन सभी में महिला आंदोलन का रास्ता मुकिश्ल भरा है राज्य की पहलकदमियों की कमी, सांमती तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा तथा भुमण्डलीकरण बाजार व्यवस्था सस्ते मजदूरों की मांग इस संघर्ष की राहे और कठिन बना रही है।

अनीस हरूण के अनुसार - आंदोलन किसी एक समूह या संस्था का बिखरा हुआ विरोध या छिटफट गतिशीलता नहीं होती, बल्कि आंदोलन कार्यों व स्थितियों की मिली-जुली विचारधारा होती है। व्यूहरचना व कार्यान्वयन को जब एक सुदृढ़ विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जाता है तब यह आंदोलन का रूप ले लेती है। यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी समाहित किये होता है, जो राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दो पर प्रभाव डालता है।य्

इस्लामिक नारीवाद नाम का शब्द 19वीं सदी में उभर कर आया है, इस्लामिक महिला आंदोलन की शुरूआत सर्वप्रथम इस्लामिक कट्टरतावाद के विरोध में हुई, इस्लामिक नारीवादी इस्लाम की व्याख्या पति व तरीके में सुधार चाहते थे जिनसे कुरान की पिछड़ेपन को बढ़ावा देने वाली उन व्याख्याओं से बचा जा सके जिन्हें अल्लाह के पवित्र उपदेश मानकर हजारों सालों से संचित किया गया है नारीवादी 'फिकह' व 'कुरान' की आधुनिक समय हेतु आधुनिकतापूर्ण व्याख्या चाहते हैं। मारगोट बदरान का मानना है कि, इस्लामिक नारीवादियों ने धर्म व राज्य दोनों को अलग करके परिभाषित किया है। बदरान का मानना है कि इस्लामिक समाजों में नारीवाद उपनिवेशवाद विरोधी रहा है। यही कारण है कि इस्लामिक नारीवादियों ने पाश्चात्य नारीवाद के सहयोजन तथा उसके ढांचे व तरीके में ढलने का विरोध किया है और आज इस्लामिक नारीवादी कुरान के विश्लेषण व व्याख्याओं के माध्यम से एक नागरिक व मुस्लिम के रूप में अपने अधिकारों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और इस खोज में उनका तरीका पाश्चात्य न होकर इस्लाम के ढांचे में ढला है।

पाकिस्तान के महिला आंदोलन ने भी गली, नुक्कड़ से होकर राष्ट्र के स्तर पर विस्तृत गतिशीलता प्राप्त की है, तथा सभ्य समाज व राष्ट्र की दमनकारी शक्ति के खिलाफ धीरे-धीरे खड़ा हुआ है। यह महिला आंदोलन गैर सरकारी संगठनों, नारीवादियों महिला अधिकार समूहों, साहित्यकारों और मीडिया ;जो महिला मुद्दों पर सहमत होते हैं की मिली जुली प्रतिक्रिया का परिणाम है। साथ ही तृतीय विश्व में महिला आंदोलन मानव अधिकार आंदोलन का एक हिस्सा बनकर उभरा है।

2. महिला आंदोलन और नागरिक समाज

परिवार, समुदाय व राज्य को मिलाकर एक नागरिक समाज का निर्माण होता है। नागरिक समाज की अवधारणा चारों ओर से राज्य के पितृसत्तात्मक चरित्र से बधी है। पाकिस्तान में महिला आंदोलन व नागरिक समाज का सबंध समस्या ग्रस्त रहा है, खास तौर पर नारीवादियों हेतु क्योंकि जिस सभ्य समाज में महिला आंदोलन को गढ़ा गया है, वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था से सराबोर होकर सामने आया है। राज्य की आलोचना इसी रूप में कुछ नारीवादियों ने की है जिनमें पैटमैन, इलस्टीन, एनलोए, पीटरसन, कैन्डीयोटी, और यूवाल डेविस इत्यादि शामिल हैं। इन नारीवादियों का मानना है कि राज्य का सिद्धांत माक्र्सवादी, उदारवादी, या बहुलवादीद्ध 'जेन्डरआंधता' से ग्रस्त है। जो पुरुष को महिला से अधिक प्राथमिकता व शक्ति देता है।

3. पाकिस्तान के प्रमुख महिला अधिकार संगठन - उद्भव एवं विकास

1886 से 1917 तक महिलाओं की परंपरागत भूमिका में अनेक बदलाव आये, जिनके पीछे निसंदेह महिला अधिकार संगठनों की भूमिका रही। 1908 में पहला महिला संगठन अंजुमन-ए-ख्वातिन-ए-इस्लाम बनाया गया। पाकिस्तान के निर्माण के बाद महिलाओं ने अनेक दिल दहला देने वाली

समस्याएं झेली, इसी दौरान बेगम लियाकत अली खान ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संस्था निर्माण की बात सोची। 1943, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में 'वूमन्स नैशनल गार्ड' की स्थापना में अनेक महिलाओं ने भाग लिया व जल्द ही सभी जागरुक महिलाएं 'ऑल पाकिस्तान वूमन्स ऐसासिएशन' बनाना चाहती थी। बेगम लियाकत अली खां के प्रयास से 22 फरवरी 1949 को 'ऑल पकिस्तान वूमन्स एसोसिएशन' का निर्माण किया गया जिसने महिलाओं हेतु कॉलेज, औद्योगिक घर व मीना बाजार खोले, 1953 में 10 सीटें नैशनल असेंबली में आरक्षित कराई व महिला शिक्षा पर भी कार्य किया।

भुट्टो काल ;1970-77 में ऐसा माना गया कि इस समय महिलाओं का राजनीतिकरण हो चुका था। इसी समय में चं Pakistan People Party (PPP) प्रकाश में आई थी, जिसने 1976 में संविधान में महिलाओं को लैंगिक निष्पक्षता व अधिकार देने का दावा किया गया। अनुच्छेद 25, 27, 32, व 35 इसी दावे का परिणाम थे। बैनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपूल्स पार्टी ने 1975 को महिला वर्ष के रूप में मनाया। 'औरत' संगठन 1976-77 में बना जो कामकाजी महिलाओं व छात्राओं का संगठन था, वहीं 'शिरकत गाह' 1970 में प्रकाश में आया व औपचारिक रूप से 1975 में 'शिरकत गाह' वूमन्स रिसोर्स सैन्टर बनाया गय जो कि महिला जागरुकता हेतु बना था। जिया-उल-सरकार के फौजी कानूनों के विराध में 1981 में 'वूमन्स एक्शन फोर्म' एक सशक्त संगठन के रूप में उभरा। 1982 में 'सिन्धियानी तहरीक' नामक संगठन का जन्म छोटे शहर व ग्रामीण औरतों की समस्याओं को लेकर हुआ व इसने । APWA और WAF के साथ मिलकर कार्य किया।

4. स्वतंत्र पाकिस्तान में आने वाली शासन व्यवस्थाओं का महिलाओं की स्थिति व महिला आंदोलन पर प्रभाव

स्वतंत्राता के बाद 'जिन्ना' ने पाकिस्तान को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना चाहा तथा कहा कि महिलाओं को भी यहाँ पुरुषों के बराबर हक मिलेंगे यही कारण था कि मौलवियों ने जिन्ना को काफिर व अविश्वासपात्र की संज्ञा दी। हमजा अलवी के अनुसार, जिन्ना ने स्वतंत्राता के पश्चात् पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम राष्ट्रवाद के रूप में पेश किया। जिन्ना ने लोगों की भलाई करने वाले लोकतांत्रिक सम्प्रभु राष्ट्र का सपना देखा। जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हों। जिन्ना की मृत्यु के बाद सैक्यूलर विचारधारा के विपरीत जमात-ए-इस्लाम के संस्थापक मौलाना मद्दी ने 'इस्लामी पाकिस्तान' राज्य की मांग की। उनके अनुसार पाकिस्तान में शरीयत के कानून लागू होने चाहिए व महिलाओं को न तो राजनीति में शामिल किया जाए, न ही शासकीय पदों पर बैठाया जाये।

1961 में फैमिली लॉ आरडीनेंस' लागू किया गया जिसके जरिये, बहुविवाह पर प्रतिबंध, तलाक व्यवस्था को जटिल बनाया गया तथा महिलाओं को उत्तराधिकार में शामिल किया गया, तलाक की पहल महिला भी कर सकती है ऐसा पहली बार फैमिली लाॅ अध्यादेश के तहत हुआ। और साथ ही शादी ब्याह के रजिस्टे[a]शन की भी शुरूआत हुई।

1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाली व महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर जोर दिया 1973 में पहली बार महिलाओं के लिए 20 वर्ष तक नेशनल असेम्बली में 20 तथा प्रान्तीय सभाओं में 5 स्थान आरक्षित किये गये।

1979 में जनरल जिया-उल-हक ने मौलाना मदूदी की विचारधारा से प्रभावित होकर शरीयत आधारित कानून आरोपित किये जिनके द्वारा महिला यौन शोषण को बढ़ावा मिला व महिलाओं के उत्पीड़न को उच्च स्तर पर पहुँचा दिया। इस्लाम जो कि पहले ही पाकिस्तानी राजनीति पर हावी था, अब ऐसे समय में उग्र रूप धारण कर चुका था। प्रमाण कानून व हदूद कानून केवल महिला उत्पीड़न को बढ़ावा देने हेतु ही बनाए गए थे। 1882 में जिया शासन ने अंसारी कमीशन नियुक्त किया। जिसने महिलाओं को विदेश सेवा से वंचित कर दिया। मजलिस-ए-शूरा की सदस्यता हेतु एक फरुष की उम्र 25 वर्ष का व महिला की उम्र 50 वर्ष की होने की शर्त रखी गई। किसास व दियात जैसे कानूनों की महिलाओं ने कड़ी आलोचना की। जनरल जिया की इस प्रतिगामी इस्लामीकरण की नीति को आने वाली लोकतांत्रिक सरकारें समाप्त करने में असफल रही। 'वूमन्स एक्शन फोर्स' (WAF) का निर्माण इस समय एक सराहनीय कदम था।

प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने 1990 के वर्ष के प्रारंभ में सत्ता संभाली। यह महिलाओं हेतु शुभ संकेत था, किन्तु जितनी आशाएं उनसे की गई थी उन पर वह खरी नहीं उतर पाई, सदैव ही इस्लामिक, पुरुष प्रधान पाकिस्तान, अभिजन नेता वर्ग का दबदबा उन पर बना रहा और वह स्वयं एक कठपुतली शासक ही साबित हुई। उनके शासन काल में महिला संगठन असंतुष्ट ही रहे तथा साथ ही इस्लाम को बढ़ावा मिला और महिला उत्पीड़न व शोषण में अतिशय वृद्धि हुई।

नवाज शरीफ ने हालांकि पहले महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जताई, परन्तु चुनाव जीतने के बाद नवाज शरीफ ने जिया शासन के इस्लामीकरण की राजनीति के प्रति अपनी निष्ठा व प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करते हुए नेशनल असेम्बली द्वारा विवादित शरीयत बिल को मंजूरी दे दी। जनतंत्र की आड़ में जनरल जिया की इस्लामिक विरासत को बरकरार रखने का आरोप महिला अधिकारवादी संगठनों ने नवाज शरीफ सरकार पर लगाया।

जनरल मुशर्रफ ने सत्ता ग्रहण करने के पश्चात आधुनिक विचारधारा वाले सैन्य शासन की छवि को बनाए रखने के प्रयास किए, जनरल जिया की इस्लामिक विरासत को विफल करने में वह असफल रहे। अक्टूबर 2002 में सम्पन्न हुए आम चुनावों में 'मुताहिदा मजलिस-ए-अमल' जैसे कट्टरपंथियों को बहुमत प्राप्त हुआ, जिनका प्रमुख लक्ष्य था पाकिस्तान का इस्लामीकरण व तालीबानीकरण करना था। आज पाकिस्तान की महिलाएं व अन्य

अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य तालिबानी संस्कृति के प्रसार के खौफ से सहमें हुए दिखाई देते हैं। मुखतरन माई बलात्कार कांड, पाकिस्तानी समाज के मुंह पर एक कलंक के समान है तथा डॉ. साजिया खालिया बलात्कार केस के बारे में स्वयं मुशर्रफ का यह बयान कि हमारे देश की महिलाएं अपने बलात्कार की झूठी खबर केवल प्रचार, पैसा व विदेश जाने के लिए उड़ाती हैं। निसंदेह शर्मनाक व दोहरे मापदंड का सबूत है।

5. निष्कर्ष

पाकिस्तान में महिला अधिकारों के संघर्ष का नेतृत्व कई यादगार व महान महिलाओं के हाथों में रहा, लेकिन एक समानता इन सभी में यह थी कि यह सभी उच्च शिक्षित व बड़े घरानों से थी, यह कोई निर्योग्यता न थी बल्कि इन महिलाओं की प्रभावशाली सलाह, वादें व कोशिशें पाकिस्तान की मध्यमवर्गीय महिलाओं के साथ न होती तब यह आंदोलन शायद आगे न बढ़ पाता और यह सराहनीय भूमिका खास तौर से निभाई, स्वर्गीय शैलजा जिया और अन्य महिला नेता जैसे - निगार अहमद, नीलम शाह, असमां जहांगीर व हिना जहांगीर, कंवर मुमताज, फरीदा शाहिदा और शाईद खान लाहौर से व कराची से नजमा सादिक और डॉ. अनीस, इस्लामाबाद से ताहीरा अब्दुल्ला व नगीना हयात ने अपनी आवाज बुलन्द की। इसी महत्वाकांक्षी जज्बे ने कुछ खास मुद्दों को उठाया तथा बौद्विक विषयवस्तु, विस्तारवादी क्रियाएं, बैठक, गलियों व नुक्कड़ों में प्रचार प्रसार के कार्यक्रम, लेख समाचार पत्रों व रैलियां और अन्य कार्यक्रम उपलब्ध कराये इस तरह पाकिस्तानी समाज व राजनीति में एक नया महिला आंदोलन उभरकर आया।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Farzana Bari y Saba Gul Khattak, 'Power Configuration in Public and Private Arena: The Women's Movement', citado en Anita M. Weiss, Zulfifkar Gilani (editado Power and Civil Society in Pakistan), Oxford, Oxford University Press, 2001, página 218 .
Farzana Bari y Saba Gul Khatak, ibídem, páginas 218-220.
Mahboob-ul-Haq, Informe del Centro de Desarrollo Humano, 2000, ibid, página 170.
Anees Haroon, Revelando los problemas, Lahore ASR, 1995.
Margot Badran, Feminismo más allá de Oriente y Occidente: Nuevas conversaciones y prácticas de género en el Islam global, Global Media Publ., 2007, citado en Hindustan Times, Nueva Delhi, 21 de enero de 2007.
Farshana Bari y Saba Gool Khatak, mismo, página 220.
Farshana Bari y Saba Gool Khatak, páginas 221-222.
Deepa Mathur, página 119.
Kanwar Mumtaz, Farida Shahid, Ibíd., págs. 35-72.
Deepa Mathur, Mujeres en transición en el sur de Asia, Sur de Asia, Serie 37, Nueva Delhi, Publicaciones Kalinga 2001, página 119.
Kanwar Mumtaz y Farida Shahid, ibid, páginas 35-72.
Kanwar Mumtaz y Farida Shahid, páginas 71-72.
Deepa Mathur, ibídem, páginas 122-124.
Hamza Alvi y Rasan Rosh, ibídem, página 2.
Hamza Alvi, Pakistán y el Islam, su etnicidad e ideología, Strategic Digest, volumen 17, núm. 18, agosto de 1987, página 1522.
Veena Kukreja, Pakistán contemporáneo: procesos políticos, conflictos y crisis, Nueva Delhi, Sage Publications, 2003, página 160.
Abul Ala Madoodi, Ley y Constitución Islámicas, Lahore, Publicación Islámica, 1960.
Gardeji Fauzia, 'Islamic Feminism and the Women's Movement in Pakistan', South Asian Bulletin, 10;2, Nueva Delhi, 1990, págs. 18-24.
Hamsha Alvi y S.Rosh, ibíd., página 4.

Constitución de la República Islámica de Pakistán, 1973, Islamabad, 1973.
Jane Goodwin, "Pakistán: Un paso adelante, dos pasos atrás", Jane Goodwin, Price of Honor, Londres, Little Brown and Company, 1994, págs. 50-52.
Surendra Nath, "Politics of Islamization in Pakistan, A Study of Zia Regime", Nueva Delhi, sur de Asia, 1993.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, 1993, Surendra Nath Kaushik, 'Status of Muslim women in the Indian subcontinent: in the context of human Rights' citado en Asha Kaushik (editado) Women Empowerment: Discourse and Reality, Jaipur, Pointer. Editores, 2004, página 195.
Derechos humanos en Pakistán, EE.UU. Informe del Departamento de Estado, 1997.
Surendra Nath Kaushik, 'In the Indian Subcontinent', mismo, página 196.